अध्याय 8

विशेष पुलिस बल का आधुनिकीकरण

अध्याय 8

विशेष पुलिस बल का आधुनिकीकरण

विशेष प्रयोजन एवं आवश्यकता के लिए शासन द्वारा उ0प्र0 पुलिस बल के अन्तर्गत विभिन्न विशेष पुलिस बल/इकाइयों को स्थापित किया गया है। इन विशेष पुलिस बलों /इकाईयो में भ्रष्टाचार विरोधी संगठन (एसीओ) , अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी), आर्थिक अपराध खण्ड (इओडब्लू), आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस), प्रादेशिक सशस्त्र रक्षादल (पीएसी), विशेष कार्य बल (एसटीएफ) आदि शामिल है। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में तीन विशेष पुलिस बल, यथा एटीएस, पीएसी व एसटीएफ को उनके आधुनिकीकरण की स्थिति की विस्तृत जॉच के लिए चयन किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत है:

8.1 आतंकवाद निरोधी दस्ता

प्रदेश में बढ़ते हुए आतंकवादी गतिविधियो का सामना करने तथा उन पर प्रभावी नियंन्त्रण करने के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की स्थापना (नवम्बर 2007) की गयी थी। एटीएस का उद्देश्य आतंकवादी व राष्ट्रद्रोही तत्वो के छुपने/रहने के संवेदनशील स्थानों का पता लगाने, उनके सम्बन्ध में गुप्त सूचना प्राप्त करने के लिए सम्पर्क विकास करना, राज्य में किसी आंतकी समूह का अनुमान/गतिविधियों की अभिसूचना पर कार्यवाही करना, केन्द्र तथा राज्य की अभिसूचना इकाईयो के साथ समन्वय स्थापित करते हुए परवर्ती परिचालनात्मक कार्यवाही करना था।

एटीएस, प्रदेश के किसी भी विभाग व इकाई से सूचना मांग सकता है तथा इसके कार्य क्षेत्र में पूरा राज्य आच्छादित है। एटीएस द्वारा किसी भी पुलिस स्टेशन में पंजीकृत प्रकरणो को एटीएस ही तब तक जॉच करेगा जब तक अपरपुलिस महानिदेशक (कानून व व्यवस्था/अपराध) यह निर्णय न ले लें कि प्रकरण सामान्य प्रक्रिया का है तथा इसकी जॉच सम्बन्धित पुलिस स्टेशन द्वारा किया जा सकता है।

264 की स्वीकृत जन शक्ति के अतिरिक्त, एटीएस के लिए नियत भूमिका/कर्तव्य की पूर्ति हेतु कमाडो की एक कम्पनी, एटीएस के सहायतार्थ उपलब्ध कराया जाना था।

8.1.1 कमाण्डों प्रशिक्षण विद्यालय व कमाण्डों केन्द्र की स्थापना

देश में विभिन्न आतंकवादी हमला जैसे मुम्बई बम विस्फोट, हैदराबाद में मक्का मस्जिद विस्फोट तथा मुम्बई में 26/11 हमला (2008) के पश्चात उ0प्र0 पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की तर्ज पर 2000 कमाण्डो से युक्त कमाण्डो इकाई व केन्द्र स्थापित करने का निर्णय (जून 2009) लिया गया था। लखनऊ में ए.टी.एस. कमाण्डो प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा यू.पी.आर.एन.एन को कार्यदायी संस्था नामित (जुलाई 2009) किया गया था। शासन ने एटीएस, एसटीएफ व सुरक्षा इकाई के कमान्डो प्रशिक्षण हेतु ए.टी.एस. को नोडल अभिकरण के रूप में नामित (अक्टूबर 2009) करते हुए इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

तदनुसार, भवन व अवस्थापन विकास हेतु ₹ 278.09 करोड़ सहित ₹ 420.89 करोड़ का विस्तृत प्रस्ताव एटीएस द्वारा पुलिस मुख्यालय में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत (नवम्बर 2009) किया गया था जिसमें:

- दो हजार की क्षमता का एक कमान्डो इकाई की स्थापना, जिसमें एक तिहाई कमान्डो को उनके कौशल/तकनीक को अद्यतन रखने एवं उन्हें दुरूस्त रखने के लिये नियमित प्रशिक्षण दिया जाना था।
- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर आगरा, लखनऊ, मेरठ व वाराणसी में चार केन्द्रों की स्थापना किया जाना था जहा पर कमान्डो अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात, कमान्डों कार्य के लिए जब व जैसी आवश्यकता हो तैनात किया जा सके तथा;
- लखनऊ में केन्द्रीयकृत कमान्डो, प्रशिक्षण विद्यालय (सीटीएस) तथा नक्सल/जंगल संघर्ष एवं प्रशिक्षण के लिए मिर्जापुर में प्रतिघात विद्रोह व आतंकवाद निरोधी विद्यालय (विशेष प्रशिक्षण केन्द्र) की स्थापना करना था।

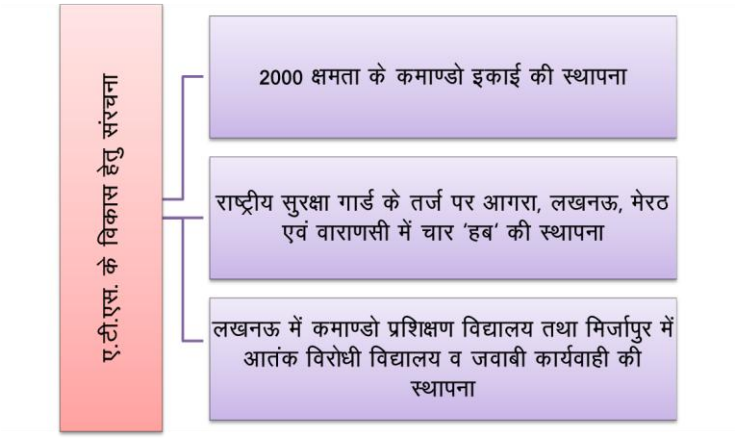

उक्त प्रस्ताव के विरूद्ध, 2000 कमान्डो हेतु भवन निर्माण के लिए पुलिस मुख्यालय ने ₹ 278.09 करोड़ की मांग प्रस्तुत (दिसम्बर 2009) किया था। तदोपरान्त, उ0प्र0 पुलिस ने प्रथम चरण में मात्र 200 कमान्डों हेतु भवनो व अन्य प्रकार के अवस्थापना निर्माण का निर्णय (जनवरी 2010) लिया था।

सी0टी0एस0 की स्थापना

राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में ₹ 139.21 करोड़ की लागत पर कमान्डो प्रशिक्षण विद्यालय (सीटीएस) की स्थापना हेतु स्वीकृति (जून 2011) प्रदान की गयी थी तथा इसे दो चरणों में सम्पादित करने का निर्णय लिया गया था। प्रथम चरण में ₹ 70 करोड़ मूल्य के कार्य (प्रशिक्षण भवन प्रशासनिक भवन, कार्नर वाच टावर, बाल आकार कक्ष , 200 क्षमता का कमान्डो हास्टल, बीस प्रति क्षमता के चार हास्टल, अस्पताल भवन आदि) का निर्माण यूपी आर एन एन द्वारा सम्पादित किया जाना था। प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद, द्वितीय चरण के कार्य किये जाने थे। प्रथम चरण के कार्य सितम्बर 2013 तक पूर्ण होने थे।

विस्तृत प्राक्कलन/परिकल्पना व डिजाइन के अनुसार एटीएस की सथापना में 44.074 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी जिसमे से वास्तव में मात्र 16.466 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध थी। आवश्यकता अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं थी इसलिए विभाग ने जितनी भूमि उपलब्ध थी यथा 16.466 हेक्टेयर , उसी में प्रथम चरण के कार्य को पूर्ण करने का निर्णय लिया। जबकि , प्रथम चरण के निर्माण कार्य हेतु भी उपलब्ध भूमि पर्याप्त नहीं थी।

आगे लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि प्रथम चरण के कार्य को निष्पादित करने के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा उपलब्ध न होने के कारण 12 कार्नर वाच टावर का कार्य नहीं कराया गया था तथा उच्च तरंग विद्युत लाइन को भी विस्थापित नहीं किया गया था आवासीय भवनो (टाइप पांच–4 तथा एक टाईप–5) का निर्माण सम्भव नहीं था। चिकित्सा भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था परन्तु अपूर्ण था, जिसे द्वितीय चरण में पूर्ण करने हेतु पुनः नियत किया गया था। उ0प्र0 शासन ने प्रथम चरण के कार्य को पूर्ण करने के लिए ₹ 98.99 करोड़ की पुनरिक्षीत लागत को स्वीकृत (सितम्बर 2015) किया था। यू पी आर एन एन को धनराशि अवमुक्त (मार्च 2016) की गयी थी। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि मूल स्वीकृत लागत ₹ 70.00 करोड़ के विरूद्ध ₹ 82.49 करोड़ व्यय किया जा चुका था परन्तु कार्य पूर्ण करने की नियत समय (सितम्बर 2013) के तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 88 प्रतिशत (मार्च 2016) थी। सी टी एस निर्माण के प्रथम चरण के कार्य पर ₹ 12.49 करोड़ की लागत वृद्धि के पश्चात भी कार्य निर्माणाधीन (सितम्बर 2016) था।

इसके आगे, द्वितीय चरण के कार्य जैसे सिमुलेशन हाल, अन्तःकक्ष क्रीड़ा हाल, पृथक अपचार संयन्त्र , श्वान कक्ष, ट्राजिट हास्टल, आवासीय भवन, सीसीटीवी प्रणाली, मार्ग नियन्त्रण प्रणाली आदि जो एटीएस को पूर्ण क्रियाशील करने के लिए आवश्यक थे, इसके निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अभी लम्बित होने के कारण सम्पादित नहीं किये जा सके थे।

उत्तर में शासन ने बताया कि निर्माण इकाई ने उपलब्ध भूमि 16.466 हेक्टेयर में प्रथम चरण के कार्य पूर्ण कर दिये हैं। द्वितीय चरण के कार्य हेतु आवश्यक 27.576 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलित है। जबकि यह तथ्य यथावत है कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण सीटीएस स्थापना में विचारणीय बिलम्ब हुआ था।

कमाण्डो केन्द्र तथा काउन्टर इनसरजेन्सी व आतंकरोधी विद्यालय की स्थापना

कमाण्डो, कार्य के लिए प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद, उनकी आवश्यकता के अनुरूप तैनाती के लिए आगरा, लखनऊ , मेरठ व वाराणसी में चार कमान्डो केन्द्र की स्थापना, तथा नक्सल/जंगल संघर्ष प्रशिक्षण के लिए मिर्जापुर में काउन्टर इनसरजेन्सी व आतंकरोधी विद्यालय (सी0आई0ए0टी0) की स्थापना को प्रारम्भ नहीं किया गया था तथा कमान्डो केन्द्र (25–25 हेक्टेयर) व सी0आई0ए0टी0 के लिए 75 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गयी थी।

अतः निर्माण इकाई द्वारा समय पर कार्य पूर्ति सुनिश्चित न करने तथा भूमि अधिग्रहण में शासन के विफलता के कारण पाच वर्ष के पश्चात भी लखनऊ में कमान्डो प्रशिक्षण विद्यालय, मिर्जापुर में काउन्टर इनसरजेन्सी व आतंकरोधी विद्यालय एवं आगरा, लखनऊ मेरठ, तथा वाराणसी में चार कमान्डो केन्द्र की स्थापना नहीं हो सकी थी। कार्य सम्पादन/निर्माण में विलम्ब से विचारणीय लागत वृद्धि को बल मिला था। काउन्टर इनसरजेन्सी कार्यवाही तथा आतंकरोधी मापदण्डों को प्रभावी ढंग से करने के लिए क्षमता वृद्धि एव तैयारी सुनिश्चित करने के प्रकरणों में शासन की उदासीन प्रवृत्ति

से आतंक/नक्सल आक्रमण की परिस्थिति में राज्य की जनता की सुरक्षा एवं बचाव की स्थिति में गम्भीर जोखिम था।

उत्तर में शासन ने बताया (फरवरी 2017) कि पदों की स्वीकृति, भवनों के निर्माण, वाहनों का क्रय, अस्त्र व शस्त्र की प्राप्ति आदि के प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है।

8.1.2 अस्थाई कमान्डो प्रशिक्षण विद्यालय

सी0टी0एस0 की स्थापना व क्रियाशील होने तक, नवीन पुलिस लाइन, कल्ली, लखनऊ के एक बैरक में एक अस्थाई कमान्डो प्रशिक्षण विद्यालय, 12 टाइप–1 आवासों का एक ब्लाक तथा पॉच टाइप–2 आवासों का एक ब्लाक प्रारम्भ करने का निर्णय (जनवरी 2010) लिया गया था। कमान्डो प्रशिक्षण में समाहित थेः

- प्रवेश पूर्व पाठ्यक्रम (चार सप्ताह);
- आर्मी अटैचमेन्ट (चार सप्ताह);
- आधारभूत प्रवेश पाठ्यक्रम (चौदह सप्ताह) तथा
- उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम (आठ सप्ताह)

जबकि लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि एक भी व्यक्ति ने कमान्डो बनने के लिए आवश्यक पूर्ण कमान्डो प्रशिक्षण नहीं किया था। वर्ष 2009–12 की अवधि में मात्र 228 कमाण्डो को पूर्व–प्रवेश पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जा सका था, जबकि वर्ष 2012–16 की अवधि में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। अतः आतंकी हमले जैसी कठिन परिस्थितियों में यथा नियोजित रूप से प्रभावी नियंत्रण के लिए पर्याप्त संख्या में कमान्डो को प्रशिक्षित नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया कि 228 कर्मचारियों को कमान्डो के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि शासन ने अपने उत्तर के पक्ष में अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये।

8.1.3 कमान्डो इकाई की स्थापना

एटीएस की स्थापना के समय अपने नियत कर्तव्य को निष्पादित करने के लिए एटीएस की सहायता हेतु पीएसी की एक कम्पनी उपलब्ध कराये जाने का निर्णय (नवम्बर 2009) लिया गया था। उक्त निर्णय को लेते समय (नवम्बर 2009) 508[22] कर्मचारी से युक्त पीएसी की चार कम्पनी, कमान्डो कम्पनी के रूप में तदर्थ व अन्तरिम आधार पर पहले से कार्य कर रही थी।

जबकि लेखापरीक्षा के प्रकाश में आया कि शासन ने प्रस्तावित 2000 कमान्डो की संख्या को अभी तक स्वीकृति नहीं किया था तथा केवल 79 पीएसी कर्मचारी अस्थाई सी0टी0एस0 में ए0टी0एस0 के साथ कार्य कर रहे (सितम्बर 2016) थे। अग्रेतर, 43 कर्मचारी (42[23] कर्मचारी वर्ष 2009–10 में तथा एक आरक्षी वर्ष 2011–12 में प्रशिक्षित) ए0टी0एस0 के साथ कार्य कर रहे थे परन्तु कोई भी कमान्डो जो अस्थाई सी0टी0एस0 में प्रशिक्षित था, न तो एस0टी0एफ0 अथवा न तो सुरक्षा शाखा में कार्य कर रहे थे।

शासन ने उत्तर में बताया गया कि ए0टी0एस0 में 103 कमाण्डो पदस्थापित हैं। शासकीय उत्तर स्वयं में ही लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करता है।

[20] कम्पनी कमान्डर–1, प्लाटून कमान्डर –10, मुख्य आरक्षी–88, एवं आरक्षी 409।
[21] मुख्य आरक्षी–14 आरक्षी–28।

8.1.4 जनशक्ति

ड्यूटी पर ए.टी.एस. कमाण्डो

उत्तर प्रदेश शासन ने नवम्बर 2007 में जब एटीएस स्थापित हुआ था 264 कर्मचारियों/अधिकारियों की जनशक्ति स्वीकृत की थी। तदोपरान्त नवम्बर 2009 मे एटीएस, सीटीएस तथा सीआईएटी को उपलब्ध कराने के लिए एटीएस ने 264 की स्वीकृत संख्या को बढाकर 892 ***(परिशिष्ट 8.1)*** करने की माँग की थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि जनशक्ति में वृद्धि का प्रस्ताव सितम्बर 2016 तक शासन के पास लम्बित था। आगे, एटीएस के लिए स्वीकृत 264 पदों के सापेक्ष मात्र 217 कर्मचारी पदस्थापित थे। रिक्तियाँ, मुख्यतः उपाधीक्षक (67 प्रतिशत), उपनिरीक्षक (47 प्रतिशत), आरक्षी (20 प्रतिशत) तथा स्टेनोग्राफर (93 प्रतिशत) के पदों में थी जबकि कनिष्ठ विज्ञान अधिकारी, मुख्य आरक्षी (कुशल) तथा विस्फोटक विशेषज्ञ ***(परिशिष्ट 8.2)*** पदों से युक्त क्षेत्रीय इकाई में कोई तैनाती नहीं की गयी थी। ए0टी0एस0 के स्वीकृत जनशक्ति में इस प्रकार की कमी तथा विगत सात वर्षों तक ए0टी0एस0 को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव पर निर्णय करने में शासन की विफलता से सुरक्षा परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

शासन ने लेखापरीक्षा द्वारा की गयी टिप्पणी में दिये गये तथ्यों की पुष्टि की।

8.1.5 अस्त्रों की उपलब्धता एवं शस्त्र सामग्री की आवश्यकता

एटीएस जैसे विशेष बल के क्रिया कलापों के लिए अस्त्र एवं शस्त्र अति महत्वपूर्ण अपेक्षायें है। जबकि लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि एटीएस को उनकी आवश्यकता अनुसार शस्त्र सामग्री नहीं मिली थी। वर्ष 2013–15 के दौरान एटीएस को 9 एमएम एमपी 5,12 बोर पीएजी, हैन्ड ग्रेनेड, स्टन ग्रेनेड तथा यूबीजीएल जैसे अस्त्र पहली बार मिले थे परन्तु हैन्ड ग्रेनेड को छोड़कर इन अस्त्रो के लिए शस्त्र सामग्री उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। आगे, अस्त्रों की उपलब्धता के बिना वर्ष 2010–11 में 303 सीटीएन एलएमजी के लिए कारतूस निर्गत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2016 तक भण्डार में कारतूस पड़े हुए थे ***(परिशिष्ट 8.3)***।

अतः (i) लखनऊ में सीटीएस की स्थापना न होने; (ii) मिर्जापुर में सी0आई0ए0टी0 प्रारम्भ न होने तथा चार आंतकरोधी केन्द्रों के अभाव में आंतकवाद से सामना करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर राज्य में एक कमान्डो इकाई स्थापित करने के उद्देश्य की पूर्ति अभी तक अप्राप्त थी। अगेतर, अस्त्रों के लिए शस्त्र सामाग्री उपलब्ध न कराने, जनशक्ति स्वीकृति न करना आदि यह स्पष्ट करते थे कि शासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर राज्य में आतंकवाद से सामना करने के लिए कमान्डो इकाई स्थापित करने में उचित प्राथमिकता एवं गम्भीरता नहीं दिखायी गयी, जो सुरक्षा हेतु नकारात्मक परिणाम को दर्शाता है। इस प्रकार, एटीएस के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु जैसा वांछित था, वह प्राप्त नहीं किया जा सका था तथा राज्य आतंकी गतिविधियों के लिये अति संवेदनशील बना हुआ था।

उत्तर में शासन ने बताया कि कमान्डो प्रशिक्षण विद्याालय में अस्त्रो व शस्त्र सामग्रियों की कमी नहीं है। शासन का उत्तर, विगत तीन वर्षों के दौरान कमाण्डो प्रशिक्षण सम्पन्न न कराये जाने के कारण तथ्यो के विपरीत है।

8.2 प्रादेशिक सशस्त्र बल

सैनिक आरक्षी तथा विशेष सशस्त्र बल का एकीकरण करते हुए यूपीपीएसी आधिनियम 1948 के द्वारा प्रादेशिक सशस्त्र बल का सृजन किया गया था जो अत्यधिक हिंसा के प्रकरणों, साम्प्रदायिक दंगों आदि का सामना करने हेतु नियत की गयी थी। वर्ष 1948 के पश्चात कानून व्यवस्था नियंत्रण करने में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल के तर्ज पर पीएसी को कानून एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए समानान्तर बल के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। पीएसी को तीन परिक्षेत्र, सात अनुभाग एवं 273 कम्पनी के साथ 33 वाहिनियों में विभाजित किया गया है। परन्तु वर्तमान में केवल 200 कम्पनियां क्रियाशील है।

8.2.1 जनशक्ति

ड्यूटी पर पी.ए.सी जवान

समूह 'अ' अधिकारी , समूह 'ब' के राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों के 47,147 तथा 36,898 की स्वीकृत संख्या के विरूद्ध वर्ष 2015–16 में जनशक्ति की उपलब्धता क्रमशः 4,257 तथा 30,216 थी। वास्तव में, 2015–16 में समूह 'ब' के राजपत्रित अधिकारी के पदों में 61 प्रतिशत तथा अराजपत्रित अधिकारी के पदों में 18 प्रतिशत कमी थी। वर्ष 2011–12 में उपलब्ध जनशक्ति 32406 से वर्ष 2015–16 में घटकर 30315 हो गई थी। पीएसी में जनशक्ति की कुल कमी 18 प्रतिशत थी। समूह ब में अधिकतम कमी 61 प्रतिशत तथा उपनिरीक्षक स्तर पर 72 प्रतिशत की कमी थी ***(परिशिष्ट 8.4)***।

शासन ने लेखापरीक्षा के टिप्पणी का उत्तर नहीं दिया।

8.2.2 जनशक्ति का प्रतिस्थापन

प्रादेशिक सशस्त्र बल की स्वीकृत 273 कम्पनियों के विरूद्ध वर्तमान में मात्र 200 कम्पनियाँ क्रियाशील हैं तथा 19 कम्पनियों को अभी तक सृजित नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि शेष 73 कम्पनियों में से 19 कम्पनियॉ बनायी ही नहीं गयीं तथा 54 कम्पनियां बनायी तो गयी परन्तु क्रियाशील नहीं हुई। यह पाया गया कि पी0ए0सी0 में बड़ी मात्रा में रिक्तियों के बावजूद सुरक्षा मुख्यालय में 246 अतिरिक्त कर्मचारी (591 स्वीकृत पी0ए0सी0 कर्मचारियो के सापेक्ष 782 कर्मचारी तैनात किये गये थें) प्रतिस्थापित थे। अग्रेतर सीबीसीआइडी, प्रशिक्षण संस्थाओं एटीएस तथा एसटीएस के स्वीकृत क्रमशः शून्य, 594, शून्य तथा शून्य संख्या के सापेक्ष क्रमशः 143,797,86 तथा 8 कर्मचारी तैनात थे। 68 पी0ए0सी0 कर्मचारियों (आरक्षी व मुख्य आरक्षी) को उनके पद स्थापन की निरन्तरता स्वीकृत किये बिना मार्च 2010 से उ0प्र0 में लखनऊ की भवन सुरक्षा हेतु विशेष क्षेत्र सुरक्षा वाहिनी के अन्तर्गत सुरक्षा गार्ड के रूप में सामान्य सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। जनशक्ति में कमी के मद्देनजर पी0ए0सी0 मुख्यालय ने इन कर्मचारियो की वापसी की मांग की थी।

स्वीकृत संख्या के सापेक्ष पीएसी की जनशक्ति में अत्यधिक कमी तथा विशेष बल के लिए निर्धारित कार्य से इतर कार्य पर पीएसी बल की तैनाती न केवल उनकी दक्षता तथा नैतिक बल को प्रभावित करता है, बल्कि केन्द्रीय अर्धसैनिक बल पर निर्भरता में भी वृद्धि करता है।

लेखापरीक्षा के टिप्पणी पर शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

8.2.3 वाहनों की कमी

ट्रूप कैरियर – पी.ए.सी.

पुलिस बल का दक्षतापूर्ण व प्रभावी निष्पादन के लिए मोबिलिटी अत्यावश्यक है तथा मोबिलिटी में कमी न्यूनतम होना चाहिए, जिससे कम से कम सम्भावित समय में घटना स्थल पर पुलिस पहुँच सके। अभिलेखों की जॉच में स्पष्ट हुआ कि विभिन्न श्रेणी के वाहनों में 145 वाहनो (12 प्रतिशत) की कमी थी ***(परिशिष्ट 8.5)***। एक सौ पैंतालीस वाहनों की कमी में से, 130 वाहनो की अधिकतम कमी, टाटा ट्रक श्रेणी में थी। अग्रेतर, उपलब्ध 819 ट्रक तथा 276 बसों में से 322 ट्रक (39 प्रतिशत) तथा 186 बसें (67 प्रतिशत) अपने 15 वर्ष की निर्धारित आयु पूर्ण कर चुके थे परन्तु वाहन नहीं खरीदे गये थे, तथा पीएसी द्वारा अभी तक उन वाहनों का उपयोग किया जा रहा था, जिन्होंने अपनी निर्धारित आयु पूर्ण कर ली थी। अतः पीएसी के वाहन बेड़े के अधिकांश भाग कालातीत थे तथा इनका प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता थी।

शासन ने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से 33 वाहन प्राप्ति के पश्चात अब केवल 112 वाहनो की कमी है।

8.2.4 उपकरण क्रय हेतु निधि

वर्ष 2011–16 के दौरान, एमपीएफ योजना के अन्तर्गत ₹ 43.71 करोड़ धनावंटन किया गया था जिसमे से मात्र ₹ 31.55 करोड का उपभोग किया गया था। जिसके परिणाम स्वरूप, कई स्वीकृत उपकरण क्रय नहीं किये जा सके थे। आवंटन, उपभोग व समर्पण का विवरण निम्नवत है:

सारणी 8.1: आवंटन तथा व्यय

(₹ करोड़ मे)

वर्ष	मांग	आवंटन	व्यय	समर्पण
2011–12	अनुपलब्ध[24]	20.95	8.95	12.00
2012–13	59.80	13.47	13.45	0.02
2013–14	49.30	3.16	3.15	0.01
2014–15	127.34	5.39	5.29	0.10
2015–16	64.50	0.74	0.72	0.02
	300.94	43.71	31.56	12.15

(**स्रोतः** पीएसी मुख्यालय)

[24] वर्ष 2011–12 के मांग के आकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये।

उक्त सारणी दर्शाती है कि वर्ष 2011–12 में आवंटित धन का 57 प्रतिशत (₹ 12.00 करोड़) उपभोग नहीं किया गया था तथा एक बड़े भाग का समर्पण किया गया था।

महत्वपूर्ण उपकरण जैसे सीन एलबो गार्ड के साथ शरीर रक्षक, पालीकार्वेनिंक ढाल, पालीकार्बोनेट लाठी, बुलेट प्रूफ जाकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, 06 लेन सिमुलेटर आदि जो कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक है परन्तु, वर्ष 2015–16 में क्रय नहीं किये गये थे, यद्यपि, कि इन उपकरणों के क्रय हेतु ₹ 64.50 करोड़ धन की माँग पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत की गयी थी। वर्ष 2015–16 के अन्त में नीचे सारणी में दिये गये आवश्यकता के विरूद्ध इन महत्वपूर्ण उपकरणों की उपलब्धता बहुत कम थी:

सारणी 8.2: पीएसी उपकरणों में कमी

क्र0 सं0	उपकरण	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (प्रतिशत)
1	सीनगार्ड संहित वाडी रक्षक	30,297	26,916	3,381(11)
2	पाली कार्वोनेट ढाल	29,321	28,815	506(2)
3	पाली कार्वोनेट लाठी	27,488	26,078	1410(5)
4	बुलेट प्रुफ जाकेट	10,080	1,913	8,167(81)
5	बुलेट प्रूफ हेलमेट	10,080	209	9,871(98)
6	लेन सिमुलेटर	32	1	31(97)

(**स्रोतः** पीएसी मुख्यालय)

महत्वपूर्ण सुरक्षा सामाग्री जैसे बुलेट प्रूफ जाकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, बॉडी सुरक्षा व अन्य उपकरण की अनुपलब्धता, दंगे अथवा अन्य उग्र परिस्थिति में न केवल पीएसी जवानों की क्षमता को कम करता है, बल्कि उनके जीवन को जोखिम में भी डाल सकता है।

लेखापरीक्षा के टिप्पणी पर शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

8.2.5 अस्त्रों की कमी

पीएसी मुख्यालय द्वारा अस्त्रों की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्रस्तुत सूचना से स्पष्ट है कि अस्त्रों की मुख्य श्रेणी में महत्वपूर्ण कमी थी। 5.56 इन्सास एलएमजी, दंगारोधी गन, आश्रु गैस–गन, 51 एमएम मोर्टार व एके 47 राइफल में 33 से 68 प्रतिशत के मध्य कमी थी ***(परिशिष्ट 8.6)***।

लेखापरीक्षा के टिप्पणी पर शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

8.3 स्पेशल टास्क फोर्स

जिला पुलिस के सहयोग से संगठित अपराधियों एवं मफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (एस0टी0एफ0) का गठन[25] (मई,1998) किया गया था। समनुदेशित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एस टी एफ को खोजबीन, बरामदगी, बंदी बनाने, अभिरक्षा एवं अन्य मामलों में वही अधिकार प्राप्त हैं जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता तथा अन्य नियमों के तहत पुलिस अधिकारियों को प्राप्त है।

[25] शासनादेश संख्या–1889/छः–पु–2–98–1100(35)/98 दिनांक 04.05.1998।

स्पेशल टास्क फोर्स

8.3.1 मानव शक्ति में कमी

लेखा अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकाश में आया कि एस टी एफ में स्वीकृत पद संख्या के सापेक्ष 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त थे। माह मार्च 2016 में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पद 472 के सापेक्ष मात्र 234 की ही तैनाती थी ***(परिशिष्ट 8.7)***। एस0टी0एफ0 में मानव शक्ति की वृहद कमी, राज्य में संगठित अपराधियों एवं मफियाओं पर अंकुश लगाने में एसटीएफ की दक्षता को सीमित करता था।

इंगित किये जाने पर शासन द्वारा उत्तर (फरवरी, 2017) में बताया गया कि एसटीएफ के पत्रांक एसटीएफ–पी 34/2016 दिनांक 30.05.2016 द्वारा स्वीकृत पद संख्या में वृद्धि हेतु समेकित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उत्तर स्वयं में लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वीकारोक्ति है।

अग्रेतर, शासनादेश 1998 की वांछनाओं के अनुरूप संगठित अपराधियों एवं मफियाओं के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पुर्लिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी के पद का सृजन किया गया। संगठित अपराधियों एवं मफियाओं के खिलाफ परिचालानात्मक कार्यवाही हेतु एसटीएफ के पास स्वीकृत पद 313 के सापेक्ष 165 (53 प्रतिशत) पदों पर ही तैनाती थी। एसटीएफ मुख्यालय के लेखाभिलेखों की संवीक्षा से प्रकाश में आया कि तैनाती के सापेक्ष, शस्त्रों की उपलब्धता 260 प्रतिशत से अधिक थी तथा एकमात्र पिस्टल/रिवाल्वर मद में तैनाती के सापेक्ष उपलब्धता 170 प्रतिशत थी।

इस प्रकार, संगठित अपराधियों एवं मफियाओं के खिलाफ कार्यवाही हेतु परिचालानात्मक क्रियाशील स्टाफ की भारी कमी के कारण शस्त्र बेकार पड़े थे तथा विशिष्ट बल के गठन के मूल उद्देश्यों के साथ समझौता किया गया था।

उक्त बिन्दुओं पर इंगित किये जाने पर शासन द्वारा उत्तर (फरवरी, 2017) में बताया गया कि उपलब्ध छोटे शस्त्रों एवं हथियारों की उपयोगिता/गुणवत्ता के बारे में विचार करने तथा अत्याधुनिक छोटे शस्त्रों के क्रय के बारे में विचार हेतु एक समिति का गठन किया गया है। शासकीय उत्तर स्वयं में लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वीकारोक्ति है।

8.3.2 माफिया एवं सगठित अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही:

वर्ष 1998 के शासनादेश[26] में प्रावधानित था कि एस टी एफ द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों एवं मफियाओं के खिलाफ कार्यवाही के संचालन हेतु पुलिस महानिदेशक,

[26] सं0–1889/छः–पु–2–98–1100(35)/98 दिनांक 04.05.1998

शासनादेश में निहित सामान्य निर्देशों को परिचालित करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार करेंगे।

जबकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासनादेश के प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु संगठित अपराध/अपराधियों एवं मफियाओं के खिलाफ कार्यवाही के संचालन हेतु पुलिस महानिदेशक द्वारा शासनादेश में निहित सामान्य निर्देशों को परिचालित करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश नहीं तैयार किया गया था। लेखा परीक्षा पृच्छा के उत्तर में एस टी एफ मुख्यालय द्वारा सूचित किया गया कि एस0टी0एफ0 का संचालन शासनादेश (मई 1998) के अनुसार किया जा रहा है तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश नहीं बनाया गया है। इस प्रकार, एस0टी0एफ0 के गठन के अट्ठारह वर्ष बाद भी शासनादेश की अपेक्षाओं के अनुसार परिचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश का बनाया जाना एवं लागू किया जाना बाकी था।

इंगित किये जाने पर लेखापरीक्षा आपत्ति पर कोई उत्तर (फरवरी,2017) नहीं दिया गया।

8.3.3 शस्त्र प्रबंधन में कमियाँ

एस0टी0एफ0 मुख्यालय के लेखाभिलेखों की संवीक्षा से प्रकाश में आया कि पी0एच0क्यू0 द्वारा एस0टी0एफ0 को मई 2013 में 20 सब–मशीन गन एवं जून,2014 में 16 ग्लाक पिस्टल बिना सेवा कारतूस के प्रदान की गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ द्वारा 2480 कारतूसों की मांग अगस्त, 2014एवं दिसंबर, 2015 में की गयी, लेकिन पी0एच0क्यू0 द्वारा एस0टी0एफ0 को जनवरी 2016 तक कारतूस प्रदान नहीं किये जा सके क्योंकि ये सीतापुर के केन्द्रीय रिजर्व में उपलब्ध नहीं थे। नए शस्त्रों के साथ कारतूसों की आपूर्ति किये जाने में दो वर्ष से अधिक समय तक की विफलता, विशेष कार्य बलों को शस्त्रों की आपूर्ति एवं क्रय प्रक्रिया की प्रणाली में गंभीर कमियों का द्योतक है।

संस्तुतियाँ:

- *लखनऊ में कमान्डो प्रशिक्षण केन्द्र (सीटीएस), मिर्जापुर में काउन्टर इन्सरजेन्सी व आतंकवाद निरोधी विद्यालय तथा केन्द्र के निर्माण कार्यों की प्रगति को गति देकर तथा शीघ्र भूमि अधिग्रहण कर पूर्ण किया जाना चाहिए जैसा कि नियोजित था।*
- *एटीएस को आवश्यक बल, विकसित अस्त्र व शस्त्र विना बिलम्ब के उपलब्ध कराया जाना चाहिए।*
- *पीएसी के पुराने वाहन बदले जाने चाहिए।*
- *दंगों एवं अन्य उग्र परिस्थितियों में प्रभावी नियन्त्रण के लिए पीएसी को आधुनिकीकृत तथा पर्याप्त रूप से सुसज्जित करने हेतु आवश्यक सुरक्षा सामग्री व अन्य अस्त्र तथा शस्त्र के क्रय के लिए पर्याप्त धन का आवंटन कर सामग्री क्रय की प्रक्रिया को कारगर बनाकर उसमें गति लायी जानी चाहिए।*
- *वर्ष 1998 में विशेष कार्य बल के उद्भव के समय निर्गत शासनादेश को परिचालित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार किया जाना चाहिए, जिससे इसे प्रभावी बनाया जा सके।*
- *राज्य में संगठित अपराधियों तथा माफिया गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु एसटीएफ में मानव शक्ति एवं शस्त्रों की कमी की पूर्ति प्राथमिकता के अधार पर करते हुए इसे आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।*